<u>न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा।</u>

राजपाल बनाम नन्हें।

एफ.आर. वाद संख्या– 64/2018

अपराध संख्या– 510/2016

थाना– ठाकुरद्वारा।

<u>11.09.19</u>

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

मु.अ.सं.–510/16 अंतर्गत धारा–420,406,392,506 भा.द.सं. थाना–ठाकुरद्वारा, के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या 15/17 पर वादी मुकदमा का कथन है कि पुलिस ने उक्त केस में फाईनल रिपोर्ट मुल्मिान से हमसाज होकर गलत तरीके से लगायी है। वादी व अन्य गवाहों को जिस तरह विवेचक ने अपनी केस डायरी में बयान लिखे हैं, वह सरासर गलत गलत है, क्योंकि वादी ने ऐसे बयान विवेचक को नहीं दिये, मुल्जिमानों को बचाने के लिए बयानों को तोड़–मरोड़ कर अंकित किया गया है। वादी से मुल्जिमान नन्हें सिंह, मुन्ने सिंह व उदल सिंह पुत्रगण रामस्वरूप निवासीगण रघुनाथपुर थाना–ठाकुरद्वारा, जिला–मुरादाबाद व मुल्जिमान के अन्य भाई नरेन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप उक्त चारों से मौजा रघुनाथपुर की आराजी गाटा सं. 9 व 25 तहसील ठाकुरद्वारा, जिला–मुरादाबाद की आराजी का विक्रय सौदा 20,00000/–रूपये में तय हुआ। वादी ने दिनांक 10.09.16 को बतौर एडवांस दिया तथा वाकी रूपया बैनामे के समय देना तय हुआ। वादी ने एक महीना बीत जाने पर मुल्जिमान से बैनामा लिखाने को कहा तो मुल्जिमान ने धान की फसल काट लेने के बाद बैनामा कराने की बात कही, प्रार्थी को मालूम हुआ कि उक्त मुल्जिमानों ने किसी अन्य व्यक्ति को प्रार्थी से तय सौदा ज्यादा रूपया लेकर उसके हक में बैनामा करा दिया। उक्त चारों व्यक्तियों में से नरेन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप ने प्रार्थी को अपने हिस्से में आये 25,000/– वापस कर दिये और कहां कि तुम्हारे एक लाख रूपये में से मेरे हिस्से में 25,000/– आये थे, जिन्हें मैं तुम्हे वापस कर रहा हूं। दिनांक 20.10.2016 को दिन के करीब 10.00 बजे ऋषिपाल सिंह पुत्र हरस्वरूप सिंह निवासी ग्राम कूरी थाना डिलारी जिला मुरादाबाद को साथ लेकर मुल्जिमान के पास पहुंचा तो मुल्जिमान ने प्रार्थी से जमीन बेचने का इकरारनामा स्टाम्प किया था उसे मांगा, प्रार्थी ने मुल्जिमान को दे दिया। मुल्जिमान ने उक्त इकरारनामे को फाड़ दिया और प्रार्थी से कहा कि चुप–चाप चला जा अन्यथा जान से मार देंगे। प्रार्थी ने मुल्जिमान से कहा तुमने मेरे साथ छल–कपट से चार सौ बीसी धोखे बाजी की है। और अब मेरी रकम को हड़प रहे हो, मै तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगा, जिस पर उक्त सभी मुल्जिमान ने प्रार्थी को बुरी तरह मारा व हत्या करने के लिए घसीट कर ले जाने लगे। चीख पुकार पर ऋषिपाल सिंह पुत्र हरस्वरूप सिंह व नरेन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप और मदन सिंह पुत्र कोमल आदि ने बचाया और प्रार्थी के कपड़े फाड़कर जेब

में रखे 1200/–रूपये उपरोक्त मुल्जिमान ने निकाल लिये। उक्त केस का विवेचक शुरू से ही मुल्जिमानों से हमसाज था, मुल्जिमानों को बचाना चाहता था। इसीलिए केस में एफ.आर लगायी, जो कि गलत है, तथ्यहीन है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त केस में विवेचक द्वारा लगायी गयी फाईनल रिपोर्ट को खारिज कर, केस को स्टेट केस के रूप में दर्ज कर मुल्जिमान को तलब फरमाये जाने की याचना दी गयी है।

विवेचक ने प्रेषित अंतिम आख्या में यह कथन किया है कि तमामी विवेचना बयान गवाहन निरीक्षण घटनास्थल व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किसी घटना का होना नहीं पाया गया वादी द्वारा जमीनी विवाद के कारण रंजिशन झूठा मुकदमा न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थनापत्र देकर लिखाया गया था अतः मुकदमा उपरोक्त में अन्तिम पत्र संख्या 15/17 समाप्त की जाती है स्वीकार करने की कृपा करें वादी के विरुद्ध 182 आई.पी.सी. की कार्यवाही की जा रही है। जबकि वादी द्वारा कथन किया गया है कि विवेचक ने उक्त केस की विवेचना ईमानदारी से नहीं की तथा मुल्जिमान से नफा नाजायज लेकर उनसे हमसाज होकर विवेचना में तथ्यों को तोड़–मरोड़कर गलत तरीके से लिखा तथा केस में फाईनल रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उपरोक्त परिस्थतियों में प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दिनांकित 25.06.2019 स्वीकार किया जाता है, विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या 15/17 निरस्त की जाती है। मामला परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते अन्तर्गत धारा–200 द्रं.प्र.सं. दिनांक 09.10.19 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।